राजीव कुमार
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना

दूरभाष : 2217840(कार्यालय)
फैक्स : 0612-2232212

पत्र संख्या- कार्य०का०सू०-08/2018-3960 /वि०स० । 14/5/18

प्रिय ....

षोडश बिहार विधान सभा का अष्टम् सत्र दिनांक 27 नवम्बर, 2017 से प्रारम्भ हुआ और दिनांक 01 दिसम्बर, 2017 को सभा की बैठक के बाद माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया । अष्टम् सत्र में कुल पाँच (5) बैठकें संपन्न हुई ।

अध्यक्ष का प्रारम्भिक संबोधन

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा षोडश बिहार विधान सभा के अष्टम् सत्र के शुभारंभ के अवसर पर माननीय सदस्यों का अभिनन्दन करते हुए उल्लेख किया गया कि संसदीय प्रणाली सही मायने में लोकतांत्रिक मूल्यों के संपोषण एवं संवर्धन हेतु सबसे उपयुक्त है । अभी हाल में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की बैठक में भाग लेने के क्रम में कुछ देशों की विधायिका एवं शासकीय प्रणाली की अध्ययन यात्रा के दौरान भी मुझे यह प्रतीत हुआ । पूरे विश्व में जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से चलने वाली शासन प्रणाली को ही उत्कृष्ट माना गया है ।

आपको यह जानकर खुशी होगी कि राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के भारत प्रक्षेत्र का अगला सम्मेलन दिनांक 16 से 19 फरवरी, 2018 तक पटना में होना तय हुआ है । इसके आयोजन से पूरे देश के जनप्रतिनिधियों को बिहार के गौरवशाली इतिहास तथा ऐतिहासिक परंपरा को नजदीक से देखने एवं प्रगतिशील बिहार को जानने का अवसर प्राप्त होगा । इस सम्मेलन का सफल आयोजन बिना आपके सहयोग के नहीं हो सकता है । आपका सक्रिय सहयोग अपेक्षित है ।

यह सभा जनता द्वारा चुने गये जनप्रतिनिधियों का सर्वोच्च सदन है एवं अर्थपूर्ण विमर्श से जनहित साधना इसका लक्ष्य है । इसे हम सभी अनुशासित एवं मर्यादित आचरण से प्रभावकारी बना सकते है । मुझे विश्वास है कि वर्त्तमान सत्र के दौरान सदन के सफल कार्य-संचालन में आप सबों का सहयोग प्राप्त होगा ।

अनुमत विधेयक

दिनांक 27 नवम्बर, 2017 को सप्तम् सत्र में बिहार विधान मंडल द्वारा पारित एवं महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमत निम्नांकित दस (10) विधेयकों के विवरण को सभा सचिव द्वारा सभा पटल पर रखा गया :-

(1) बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त (संशोधन) विधेयक, 2017
(2) बिहार भूमि दाखिल खारिज (संशोधन) विधेयक, 2017
(3) बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2017
(4) बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1981-82, 1986-87, 1989-90, 1993-94 एवं 1995-96) (संख्या-2) विधेयक, 2017
(5) बिहार कराधान विधि (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक, 2017
(6) बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग विधेयक, 2017
(7) बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017
(8) बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2017
(9) बिहार काश्तकारी (संशोधन) विधेयक, 2017
(10) बिहार चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 2017

वित्तीय कार्य

दिनांक 27 नवम्बर, 2017 को वित्त मंत्री श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी का उपस्थापन किया गया तथा दिनांक 30 नवम्बर, 2017 को द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित जल संसाधन विभाग के अनुदान की माँग पर वाद-विवाद एवं सरकार के उत्तर के पश्चात सभा द्वारा स्वीकृत हुआ एवं शेष माँगे गिलोटिन (मुखबंध) द्वारा स्वीकृत किये गये । तदुपरान्त बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2017 सभा द्वारा स्वीकृत हुआ ।

सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

1. विधि विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम, 1987 की धारा-18(6) के तहत् बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार का वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 का वार्षिक लेखा की एक-एक प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।
2. समाज कल्याण विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा-23(2) एवं बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियमावली, 2010 के नियम-21(3) के तहत् बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का वर्ष 2014-16 का विशेष प्रतिवेदन की प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।
3. खान एवं भूतत्व विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा-28(3) तथा बिहार लघु खनिज नियमावली, 2017 के नियम-147 के तहत् विभागीय अधिसूचना संख्या-3018, दिनांक-10.10.17/ 4042, दिनांक-17.10.17/ 3077, दिनांक-13.10.17/ 3058, दिनांक-12.10.17/ 3031, दिनांक-11.10.17/ 3083, दिनांक-13.10.17/ 4006, दिनांक-16.10.17/ 4044, दिनांक-17.10.17 एवं 7097, दिनांक-17.11.17 की एक-एक प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।
4. आपदा प्रबंधन विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा-70(2) के तहत् बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का वर्ष 2015-16 का वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।
5. वाणिज्य-कर विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-166 के तहत् अधिसूचना संख्या-एस.ओ.-61,62, दिनांक-28.06.2017/ एस.ओ.-99, 100, 101, 102, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, दिनांक-29.06.2017/ एस.ओ.-139, 140, 141, 142, 143, 144, दिनांक- 01.09.2017 / एस.ओ.-145, 146, 149, 150, दिनांक- 07.09.2017 / एस.ओ.-163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, दिनांक-21.09.2017 / एस.ओ.-195, 196, दिनांक-22.09.2017 / एस.ओ.-201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, दिनांक-10.10.2017 / एस.ओ.-229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, दिनांक-13.10.2017 / एस.ओ.-247, 248, 249, 250, 251, 252, दिनांक- 18.10.2017, एस.ओ.-255, 256, दिनांक-24.10.2017 / एस.ओ. -257, 258, दिनांक-30.10.2017 / एस.ओ.-65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, दिनांक- 29.06.2017, एस.ओ.-115, 116, दिनांक-19.07.2017 / एस.ओ.-129, 130, दिनांक-18.08.2017/ एस.ओ.-131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, दिनांक- 22.08.2017 / एस.ओ. -183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, दिनांक- 21.09.2017 / एस.ओ.-211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, दिनांक-13.10.2017 / एस.ओ.-245, 246, दिनांक-18.10.2017 एवं एस.ओ.-253, 254, दिनांक-23.10.2017 की एक-एक प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।

6. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम- 2006 की धारा-11 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट प्राक्कलन के संदर्भ में द्वितीय तिमाही में प्राप्ति एवं व्यय का रूझान संबंधी परिणाम प्रतिवेदन की प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।
7. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम- 2006 की धारा-11 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट प्राक्कलन के संदर्भ में द्वितीय तिमाही में प्राप्ति एवं व्यय का रूझान संबंधी परिणाम प्रतिवेदन की प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।
8. वाणिज्य-कर विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार विज्ञापन कर अधिनियम-2007 की धारा-37 (3) के तहत् अधिसूचना संख्या-एस०ओ०-273 तथा 274, दिनांक 07.10.2016 की प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।

विधायी कार्य

सदन द्वारा सत्र के दौरान निम्नलिखित विधेयकों का पुरःस्थापन, विचारण एवं पारण किया गया ।

1. बिहार विशेष सुरक्षा दल (संशोधन) विधेयक, 2017
2. बिहार कृषि बाजार प्रांगण भूमि अंतरण विधेयक, 2017
3. बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (संशोधन) विधेयक, 2017
4. बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2017

याचिका

इस सत्र में कुल 97 याचिकाएँ प्राप्त हुए जिनमें से 78 स्वीकृत हुए तथा 19 अस्वीकृत हुआ ।

निवेदन

इस सत्र में कुल 137 निवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 136 निवेदन स्वीकृत हुए तथा 01 अस्वीकृत हुए । स्वीकृत निवेदनों को सभा की सहमति के पश्चात संबंधित विभागों को भेज दिया गया ।

प्रश्न

इस सत्र के दौरान कुल 700 प्रश्नों की सूचनाएँ प्राप्त हुई, जिनमें 572 प्रश्नों की सूचनाएँ स्वीकृत किया गया । स्वीकृत प्रश्नों की सूचनाओं में 13 अल्पसूचित, 482 तारांकित एवं 77 अतारांकित थे । इन स्वीकृत प्रश्नों की सूचनाओं में से 39 प्रश्न उत्तरित हुए तथा 119 प्रश्नोत्तर सभा पटल पर रखे गये । उत्तर संलग्न प्रश्नों की संख्या 03 एवं 411 प्रश्न अनागत हुए ।

ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय सदस्यों द्वारा कुल 117 ध्यानाकर्षण सूचनायें दी गयी जिसमें से 06 ध्यानाकर्षण सूचनायें सदन में वक्तव्य हेतु स्वीकृत की गयी तथा 109 ध्यानाकर्षण सूचनायें लिखित उत्तर हेतु संबंधित विभागों को भेज दिया गया एवं 02 ध्यानाकर्षण सूचनायें अमान्य हुए ।

शून्यकाल

शून्यकाल के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा लोकहित के विभिन्न विषयों को उठाया गया ।

गैर सरकारी संकल्प

इस सत्र में कुल 88 गैर सरकारी संकल्प की सूचनाएँ प्राप्त हुए तथा सदन के लिए सभी सूचनाएँ स्वीकृत हुए । सदन की सहमति से सभी संकल्पों को संबंधित विभागों में विचारार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दिया गया ।

शोक प्रकाश

इस सत्र में निम्नलिखित माननीय सदस्यों, कतिपय जननायकों के निधन पर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए एक मिनट का मौन रखा गया तथा सदन की ओर से शोक संतृप्त परिवार के पास संदेश भेजा गया :-

1. स्वर्गीय मुन्द्रिका सिंह यादव, पूर्व स०वि०स०
2. स्वर्गीय मोहम्मद तस्लीमुद्दीन, पूर्व स०वि०स० एवं पूर्व सांसद
3. स्वर्गीय श्रीमती श्यामा सिंह, पूर्व सांसद
4. स्वर्गीय विलट पासवान विहंगम, पूर्व स०वि०स०
5. स्वर्गीय गया सिंह, पूर्व सांसद
6. स्वर्गीय भोला प्रसाद सिंह, पूर्व स०वि०स० एवं पूर्व स०वि०प०
7. स्वर्गीय धनराज सिंह, पूर्व स०वि०प० एवं पूर्व सांसद
8. स्वर्गीय आनन्द भूषण पाण्डेय, पूर्व स०वि०स०

दिनांक 01 दिसम्बर, 2017 को निर्धारित कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी, जिसके उपरांत महामहिम राज्यपाल द्वारा बिहार विधान सभा का सत्रावसान किया गया ।

सधन्यवाद

आपका विश्वासी

8/5/18

(राजीव कुमार)

प्रभारी सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।

07.05.2018

सेवा में,

....

....

....